प्रभास कुमार झा
आई0ए0एस0
महानिरीक्षक निबंधन
एवं आयुक्त स्टाम्प

विश्वास मार्केट, विश्वासखण्ड–3
गोमतीनगर, लखनऊ (शिविर कार्यालय)
फोन : का0–308697 (0522)
फैक्सः 308696, 308713 (0522)

संख्या एच. 80 / शि0का0लख0 / 2002 **दिनांक : 26.08.2002**

प्रिय महोदय,

माननीय मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की दिनांक 11.8.2002 को कानपुर में आयोजित राजस्व समीक्षा बैठक में यह बिन्दु प्रकाश में आया है कि नोटरियों द्वारा सत्यापित किये गये दस्तावेजों के आधार पर नगर पालिकाओं में दाखिल खारिज हो जाता है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जब तक पंजीकृत प्रलेख नगर पालिका अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न हो तब तक किसी अन्य अधिकारी के सत्यापन के आधार पर दाखिल खारिज की कार्यवाही न होने दी जाए।

इस प्रकार के प्रकरणों में विधिक स्थिति स्पष्ट की जा रही है। स्थानीय निकायों के समस्त मुख्य नगर अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य नगर अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, लोक अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। इन सभी अधिकारियों का दायित्व है कि स्टाम्प अधिनियम की धारा–33 में वर्णित विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें अर्थात दाखिल खारिज हेतु प्रस्तुत लेखपत्र यथाविधि स्टाम्पित होने पर ही उनके आधार पर दाखिल खारिज हेतु प्रस्तुत लेखपत्र यथाविधि स्टाम्पित होने पर ही उनके आधार पर दाखिल खारिज की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि लेखपत्र यथाविधि स्टाम्पित नहीं हैं तो धारा 33 स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त लोक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें वह लेखपत्र अवरूद्ध प्रदत्त लोक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें वह लेखपत्र अवरूद्ध करके अपने कब्जे में लेकर कभी स्टाम्प की वसूली हेतु कलेक्टर को प्रेषित कर देना चाहिए।

ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी एक्ट की धारा 54 के अनुसार अचल सम्पत्ति का विक्रय द्वारा अन्तरण और ऐसा करने का इकरार केवल रजिस्टर्ड लेखपत्र द्वारा ही हो सकता है। इसी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार अचल सम्पत्ति का दान केवल रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र द्वारा किया जा सकता है। नोटरी द्वारा सत्यापित लेखपत्र पंजीकृत नहीं होता है अतः उसके आधार पर दाखिल करना विधि विरूद्ध है जो किसी भी दशा में मान्य नहीं हो सकता है।

अतः कृपया सभी सम्बन्धियों को निर्देशों देने का कष्ट करें कि यथाविधि सटाम्पित तथा पंजीकृत लेखपत्र के आधार पर ही दाखिल खारिज की कार्यवाही सम्पादित करें।

प्रभास कुमार झा

श्री अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर–प्रदेश शासन।

संख्या : 1780(।)/शि0का0लख0/2002 दिनांक 26.8.2002

प्रिय महोदय,

उक्त की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रभास कुमार झा

श्री ललित श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
कर एवं निबन्धन,
उत्तर–प्रदेश शासन,

संख्याः 1780(1–4)/शि0का0लख0/2002 दिनांक 26–08–2002

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उत्तर प्रदेश।

4. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

प्रभास कुमार झा